## वीर तेजाजी जाट छात्रावास, टोंक

01. **छात्रावास का नाम:**— वीर तेजाजी जाट छात्रावास टोंक

पता:- भूतेश्वर मन्दिर के सामने, सवाई माधोपुर चौराहा टोंक (राज.) 304001

रजि. न.≔ COOP/2022/TONK/2010-20

संचालित संस्था:- वीर तेजा जाट छात्रावास समिति टोंक

अध्यक्ष:- श्रीमति रमा चौधरी (वकील) मो.न. 9214578155

02. इतिहास:— टोंक जिले में जाट समाज की जनसंख्या बहुलता में है, लेकिन शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से इस जिले के लोग अन्य जिलों से पिछड़े रहे हैं। 1980 के दशक में टोंक शहर में छात्रावास की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में पढ़ने जो विद्यार्थी आते थे तो उनको टोंक में रहने की, पढ़ने की समस्या थी उस समय श्रीमती रमा चौधरी एडवोकेट एवं उनके पित श्री रामगोपाल जी ने विद्यार्थियों की बहुत सहायकता कि तथा उनहोंने विचार किया की जाट समाज के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाये जब इसके बाद टोंक में जाट समाज के लोगों की मीटिंग हुई और छात्रावास के निर्माण के लिए एक समिति बनाई इस समिति के माध्यम से फिर एक मीटिंग बुलाई क्योंकि उस समय छात्रावास के लिए कोई जमीन नहीं थी पहले किसान विकास समिति बनाई गयी और काफी प्रयास के बाद भी छात्रावा के लिए जमीन नहीं मिली। 1988 में हमने एक यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री रामकंवार जी महामंत्री श्री परशुराम जी सन् 1988 में 05 रू के स्टाम्प पर एक जमीन छात्रावास के नाम से श्रीमती रमा चौधरी एडवोकेट को दी, एवं उन्होंने समाज की मीटिंग बुलाई और मिटिंग में एक अध्यक्ष श्री बजरंग लाल जी श्रीमती रमा चौधरी को बनाया गया, फिर छात्रावास निर्माण कार्य हेतु 50000 रू चंदा एकत्र का छात्रावास प्रारम्भ किया। इसके बाद आगे के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल जाकर लोगों से पैसा इक्कडा किया एवं निर्माण कार्य करवाया गया। उस समय श्री बजरंग जी, श्री बाबुलाल जी, रमा जी इन लोगों का सहयोग रहा तथा श्री रामकरण जी का भी सहयोग रहा।

नोट:— सन् 2022 में एक मिटिंग बुला कर लाइब्रेरी के निर्माण पर विचार किया गया और कार्य शुरू करने पर सहमती बनी तभी युवा पीढी के द्वारा इस भवन को और बडा तीन मंजिल करने की बीडा अठाया गया जिसमें समाज के कही बडे—बडे भामाशाहो जन युवाओं का सहयोग रहा।

इतिहास मे 1988 से कार्य करने वाले लोग:-

- 01. श्री जगदीश नारायण जी खरूटिया
- 02. श्रीमती रमा जी (वकील)
- 03. श्री रामबिलास जी (पुर्व जिला प्रमुख)
- 04. श्री जयलाल जी सरूडिया (अध्यापक)
- 05. श्री जगदीश जी कुडी (अरनिया माल)
- 03. कार्यकारिणी सदस्य:- श्रीमती रमा चौधरी की अध्यक्षता मे नयी निर्माण कार्यकारिणी का गठन हुआ।
  - 01. श्रीमति रमा चौधरी (अध्यक्ष)
  - 02. श्री योगेश जाट (कोषाध्यक्ष)

- 03. श्री लक्ष्मण जाट पंधेडा
- 04. श्री सत्यनारायण जी कुड़ी
- 05. श्री शिवजी लाल चौधरी (शिव पब्लिक शिक्षा समिति) टोंक
- 06. श्री आशीष चौधरी (आलोक शिक्षा संस्थान), टोंक
- 07. श्री शैलेन्द्र चौधरी
- 08. श्री रामप्रसाद चौपड़ा
- 09. श्री चन्द्र वीर आला
- 10. श्री कजोड धनखड

कोरोना काल में व्यवधान एवं अन्य कारणों से छात्रावास की व्यवस्थाए थोड़ी कमजोर हो गयी थी, इसलिए युवा पीढी ने छात्रावास की व्यवस्थाए सुधारने का बिड़ा उठाया।

- 04. भौतिक संसाधन:— आज जाट छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें 40x40 के तीन बडे—बडे हॉल, लाईब्रेरी, ओडोटोरियम व जिम, कोचिंग कक्षाओं के लिए 16 कमरों का कार्य पूर्ण हो चूका है जिसमें जरूरी नये सत्रों की समिति द्वारा नियमावली के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 05. विधार्थी विवरण:— वर्तमान में छात्रावास में 80 छात्र अध्ययन कर रहे हैं जिसमें BA, Bed, Bsc, BSTC व प्रतियोगि परिक्षाओं की तैयारी रह रहे हैं।
- 06. भोजन की व्यवस्था:— अभी तक सभी अपना—अपना भोजन स्वयं बनाते है। परन्तु अगले सत्र से मैस व्यवस्था पर विचार चल रहा है।
- 06. वितिय प्रबन्धन व आय के स्त्रोत:— जाट समाज के भामाशाहो द्वारा दी गई राशि व छात्रो का कमरा किराया।

- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- पत्र व्यवहार करना।
- 💠 सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

#### 5. उपसचिव प्रथम:-

- सचिव की अनुपस्थिति में बैठके आहूत करना।
- सचिव की अनुपस्थिति में कार्यवाही लिखना एवं रिकार्ड रखना।
- 💠 सचिव की अनुपस्थिति में आय-व्यय का नियंत्रण रखना।
- सचिव की अनुपस्थिति में वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- सचिव की अनुपस्थिति में संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- सचिव की अनुपस्थिति में पत्र व्यवहार करना।
- सचिव की अनुपस्थिति में सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

#### 6. उपसचिव द्वितीय:-

- 🂠 उपसचिव की अनुपस्थिति में बैठके आहूत करना।
- 💠 उपसचिव की अनुपस्थिति में कार्यवाही लिखना एवं रिकार्ड रखना।
- 💠 उपसचिव की अनुपस्थिति में आय—व्यय का नियंत्रण रखना।
- उपसचिव की अनुपस्थिति में वैतिनक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- उपसचिव की अनुपस्थिति में संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 🌣 उपसचिव की अनुपस्थिति में पत्र व्यवहार करना।
- उपसचिव की अनुपस्थिति में सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

#### 7. कोषाध्यक्ष :--

- वार्षिक लेखा—जोखा तैयार करना।
- 💠 दैनिक लेखों पर नियंत्रण करना।
- 💠 चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद लेना।
- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

#### संरक्षक :--

अध्यक्ष

- 💠 संस्था सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखना।
- प्रबंधकार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले दैनिक लेखों पर नियंत्रण

सचिव



- संस्था द्वारा लिये जाने वाले चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि कार्यों पर नजर रखना।
- संस्था द्वारा अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करवाने हेतु संस्था सदस्यगणों का मार्गदर्शन करना।
- 16. संस्था का कोष :--
  - 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान
  - उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
  - अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष (तीनों) पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।
- 17. कोष सम्बंधी विशेषाधिकार :--

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारियों संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें।

- संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे।
- 19. संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
- 20. संस्था का विघटन :— यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रिजस्ट्रीकरण अघिनियम, 1958 की घारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रिजस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रदद् करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 21. संस्था के लेखे—जोखें :- रिजस्ट्रार संस्थाएं टोंक को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण/जॉच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उसके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) वीर तेजाजी जाट छात्रावास समिति टोंक संस्थान की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

सचिव



- 7. सदस्यता से निष्कासन :-संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :--
  - 1. मृत्यु होने पर
  - 2. त्याग-पत्र देने पर
  - 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
  - 4. प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अंदर-अंदर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी ताी। साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा :-

संस्था के उपनियम संख्या में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण समा का

- 9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य होंगे :--अधिकार और कर्त्तव्य :-
  - 1. प्रबंधकारिणी का चुनाव करना।
  - 2. वार्षिक बजट पारित करना।
  - उ. प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
  - 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)
- 10. साधारण सभा की बैठकें :--
  - 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी पर आवश्यकता होने पर विशेष सभा अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  - 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
  - 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अतिआवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
  - 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्घारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा
  - 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री / अध्यक्ष / द्वारा 1 माह के अंदर-अंदर बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगें।

11. कार्यकारिणी का गठन :--

संस्था के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :--

- 💠 संरक्षक एक
- 💠 अध्यक्ष एक
- 💠 उपाध्यक्ष प्रथम एक
- 💠 उपाध्यक्ष द्वितीय एक
- ❖ सचिव एक
- 💠 उपसचिव प्रथम एक
- 💠 उपसचिव द्वितीय एक
- 🌣 कोषाध्यक्ष एक
- ♦ सदस्य तैरहं न्योद्धः

उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें, कम रखना चाहे तो कम रख लें।

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 8 पदाधिकारी व स्मिसदस्य कुल 21\_सदस्य होगें। 12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-

- संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अविध के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- > चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।
- कार्यकारिणी के अधिकार एवं महत्त्व : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें।
  - सदस्य बनाना / निष्कासित करना
  - वार्षिक बजट तैयार करना
  - संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना
  - संवैतिनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
  - 💠 साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
  - कार्य व्यवस्था हेतु उपसमितियां बनाना।
  - 🌣 अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ में हो करना।
- 14. कार्यकारिणी की बैठके :--
  - कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्कयता होने पर बैठके अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  - 💠 बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

स




- बैठक की सूचना प्राय— 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन के समय से कम समय में भी दी जा सकती है।
- कोरम के अभाव में बैठक स्थिगत की जा सकेगी, जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। लेकिन विचारणीय विषय नहीं होगें, जो पूर्व में एजेण्डा में थे। ऐसी स्थिगत बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थित अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।
- 15. संस्था की प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार के होगें :--प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :--
- 1. अध्यक्ष :--
- बैठको की अध्यक्षता करना।
- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- वैठके आहुत करना।
- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
- 2. उपाध्यक्ष प्रथम :--
  - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठको की अध्यक्षता करना।
  - 💠 अघ्यक्ष की अनुपस्थिति में मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
  - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठके आहूत करना।
  - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
  - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
- 3. उपाध्यक्ष द्वितीय :-
  - 💠 उपाध्यक्ष प्रथम की अनुपस्थिति में बैठको की अध्यक्षता करना।
  - 💠 उपाध्यक्ष प्रथम की अनुपस्थिति में मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
  - 💠 उपाध्यक्ष प्रथम की अनुपस्थिति में बैठके आहूत करना।
  - उपाध्यक्ष प्रथम की अनुपस्थिति में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
  - उपाध्यक्ष प्रथम की अनुपस्थिति में संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
- 4. सचिव :--
  - बैठके आहुत करना।
  - कार्यवाही लिखना एवं रिकार्ड रखना।
  - आय—व्यय का नियंत्रण रखना।
  - वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

सचिव





# श्री वीर तेजाजी जाट छात्रावास,टोंक प्रवेश नियमावली सत्र 2023–24



- 1. प्रतिवर्ष छात्रावास मे प्रवेश लेने हेतु 15 जून से 10 जुलाई के मध्य छात्रावास से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित आवेदन पत्र मे ही आवेदन करना होगा। आवेदन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साईज फोटो एवं आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति छात्रावास कार्यालय टोंक मे जमा करानी होगी।
- 2. प्रवेश कक्षा ग्यारहवी से स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों को दिया जायेगा।
- 3. छात्रावास मे प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा।
- अंको की गणना वर्तमान उत्तींण परीक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा के आधार पर होगी। यदि किसी कारणवश गैप ईयर है तो स्पष्टीकरण देना होगा।
- प्रवेश सूची 12 जुलाई को कार्यालय सूचनाबोर्ड एवं वेबसाईड पर प्रदर्शित कर दी जायेगी। सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- 6. छात्रावास मे प्रवेश मिलने पर 15 जुलाई तक नियमानुसार पूर्व शुल्क जमा कराकर अपना स्थान निश्चित कर ले अन्यथा उक्त तिथि के बाद प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा तथा प्रतीक्षा सूची के छात्रों को प्रवेश दे दिया जायेगा।
- 7. छात्रावास में प्रवेश के बाद छात्रावास में अध्ययनरत रहते हुए 12 वी तक परीक्षाओं में 70 प्रतिशत एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं में 60 प्रतिशत से कम अंको के साथ उत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष के लिए छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- छात्रावास मे प्रवेशार्थी को प्रवेश के बाद छात्रावास के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियम भंग करने पर तुरन्त प्रभाव से छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- 9. प्रवेशार्थी की अधिकतम आयु 5 जुलाई तक 28 वर्ष से अधिक नहीं हो अर्थात उक्त दिनांक को 1 दिन भी अधिक होने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 10. प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कार्यवाही समाज द्वारा गठित प्रवेश समिति द्वारा ही की जायेगी। राजकीय कार्यवाही अमान्य होगी।
- 11. कमरों का अधिकार आवंटन समिति के पास रहेगा व समिति का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य रहेगा।

#### स्काउट

- 1. राष्ट्रपति स्काउट प्रमाण पत्र 5 अंक प्रतिशत के रूप मे
- 2. राज्यपाल स्काउट प्रमाण पत्र / प्रवीण प्रमाण पत्र 4 अंक प्रतिशत के रूप में
- 3. द्वितीय संशोधन प्रमाण पत्र / निपुण प्रमाण पत्र 3 अंक प्रतिशत के रूप मे

#### एनसीसी

- 1. ए सर्टिफिकेट उत्तीर्ण 3 अंक प्रतिशत के रूप मे
- 2. बी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण 4 अंक प्रतिशत के रूप मे

3. सी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण 5 अंक प्रतिशत के रूप मे

#### एनएसएस

1. अधिकतम 3 प्रतिशत अंक देय होंगे।

#### फीस विवरण

मद	राशि
प्रवेश शुल्क	500 / - रूपये वार्षिक
विकास शुल्क	2000 / - रूपये वार्षिक
कक्ष किराया (प्रति व्यक्ति)	500 / - रूपये वार्षिक
मैस शुल्क + गेंहूँ	1000 / - + 15 कि.ग्रा. ग्रेहूँ मासिक

फीस जमा करवाने के नियम : सभी तरह के बकाया जमा करवाने के बाद छात्रावास मद की फीस महीने के अंतिम दिवस तक जमा करवानी आवश्यक होती है। देरी पर प्रति दिन 100 रू. के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। 10 तारीख तक फीस जमा नही करवाने पर छात्रावास से प्रवेश निरस्त कर नाम काट दिया जाता है।

अतिथि नियम: कोई भी छात्र 200 रूपये प्रतिदिन जमा करवाकर अधिकतम तीन दिन तक अस्थायी रूप से गेस्ट रख सकता है। पूर्व में फीस जमा न करवाने पर 200 रूपये प्रतिदिन की पैनल्टी देनी होती हे। जुलाई 2023 से परीक्षा की तैयारी हेतु कम से कम 10 दिन की 200 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अग्रिम राशि जमा कर छात्रावासों छात्र गेस्ट रख सकता है। स्थायी वर्ग के मेहमान को छात्रावास के सभी नियमों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी। अतिथि के रूप में केवल छात्र ही छात्रावास में रहने और भोजन के पात्र होंगे।

### नवीन प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश हेतु निम्न वर्ग बनाये जायेगे।

1. वर्ग (80 प्रतिशत से अधिक)

इस वर्ग में 80 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण वर्तमान सत्र के सभी तरह के शैक्षिक / प्रशैक्षिक कोर्स के छात्र सम्मिलित होंगे।

- 2. वर्ग (70 से 79.99 प्रतिशत तक) इस वर्ग मे मेरिट के आधार पर प्रवेश का क्रम निम्न प्रकार सेवरीयता के आधार पर रहेगा। एम.एड., स्नातकोत्तर, बी.एड., स्नातक, बीएसटीसी, नर्सिंग, डिप्लोगा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई आदि इसके बाद 12 वी व 11 वी प्रवेशार्थी को सम्मिलत मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- 3. वर्ग (60 से 69.99 प्रतिशत तक)
  द्वितीय वर्ग के क्रमानुसार ही इस वर्ग मे भी प्रवेश दिया जायेगा।
  उपरोक्त तीनो वर्गो मे एक वर्ष के अन्तराल वाला छात्र भी आवेदन कर प्रवेश प्राप्त कर सकता है।
- वर्ग (विकलांग व अनाथ)
   सत्र के शुक्त मे रिक्त 10 प्रतिशत सीटों पर दिव्यांग व अनाथ वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

विकलांग: 40 प्रतिशत विकलांगता का डाक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर मेरिट बेस पर।

अनाथ : पिताश्री के देहान्त होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

नोट : न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगे तथा यह आरक्षण प्रतिवर्ष प्रथम प्रवेश सूची के समय रिक्त स्थानों के अनुसार देय होगा।

> मूल उत्तीर्णक मे सहशैक्षिक गतिविधियों के लिए निम्नानुसार अंक जोड़कर प्रवेश वरीयता बनायी जायेगी। यह लाभ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

#### खेल:

- राष्ट्रीय स्तर : प्रथम 8 अंक प्रतिशत के रूप में।
- राष्ट्रीय स्तर : द्वितीय 7 अंक प्रतिशत के रूप मे।
- राष्ट्रीय स्तर : तृतीय 6 अंक प्रतिशत के रूप मे।
- राष्ट्रीय स्तर : संभागी 5 अंक प्रतिशत के रूप मे।
- राज्य स्तरीय : प्रथम 5 अंक प्रतिशत के रूप मे।
- राज्य स्तरीय : द्वितीय 4 अंक प्रतिशत के रूप मे।
- राज्य स्तरीय : तृतीय 3 अंक प्रतिशत के रूप मे।
- राज्य स्तरीय : संभागी 2 अंक प्रतिशत के रूप मे।
- जिला स्तरीय : विजेता 1 अंक प्रतिशत के रूप मे।

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है

	-				
क्र स	नाम व पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री श्रीराम चौघरी पुत्र श्री रामदयाल चौघरी	समाजसेवी	तेजाजी का मोहल्ला ग्राम पलेई तहसील निवाई जिला टॉक	संरक्षक	211
2.	श्रीमति रमा चौधरी पत्नि श्री रामगोपाल जाट	एडवोकेट	कल्याण कुंज खोजा बावडी जयपुर रोड टोंक	अध्यक्ष	1/25
3.	श्री छीतर लाल जाट पुत्र श्री मुकना जाटं	समाजसेवी	ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला टोंक	उपाध्यक्ष ।	ELC2CIN
4.	श्री रामकरण जाट पुत्र श्री बजरंग लाल जाट	समाजसेवी	ग्राम खेडा तहसील पीपलू जिला टॉक	चपाध्यक्ष II	Lina
5.	श्री कजोड़मल जाट पुत्र श्री केदार लाल जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम रायरामपुरा जिला टोंक	सचिव	मार्गिड और
6.	श्री आशीष चौघरी पुत्र श्री प्रमूदयाल चौघरी	समाजसेवी	शास्त्री नगर तहसील जिला टोंक	. उपसचिव <b>।</b>	shind.
7.	श्री शिवजी लाल चौघरी पुत्र श्री हीरालाल चौघरी	समाजसेवी	69 गुर्जरों का मोहल्ला, सरोली जिला टोंक	उपसचिव ॥	-8hr
8.	श्री योगेश छरंग पुत्र श्री शिवजीराम छरंग	समाजसेवी	डामर का ढिया सरोली जिला टोंक	कोषाध्यक्ष	न्येनियद्वांत
9.	श्री किशन गोपाल जाट पुत्र श्री रामलाल जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम करीमपुरी पोस्ट दाखिया जिला टोंक	सदस्य	(HE WILL)
10.	श्री नाथूलाल जाट पुत्र श्री जगदीश जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम अमिर पुरा खे <b>ट्रा</b> पो. छान जिला टोंक	सदस्य	नार्युताल
11.	श्री महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री बन्नालाल चौधरी	समाजसेवी	एन.एच. 12 जाटों का मोहल्ला छान जिला टोंक राजस्थान	सदस्य	ाहेन।
12.	श्री कुलदीप चौघरी पुत्र श्री रामेश्वर चौघरी	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक	सदस्य	कुंलडीप
13.	श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र श्री नेहनू लाल जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला अलीमपुरा पो. काशीपुरा तह. पीपलू जिला टोंक	सदस्य	A
14.	श्री लेखराज चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी	समाजसेवी	ग्राम देवली 🔞 तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य	लेखराज
15.	श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्रश्री जगदीश जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम अरनिया मार केंद्रार पोस्ट सोनवा जिला टॉक	सदस्य	Sother
16.	श्री जीतराम जाट पुत्र श्री घांसीलाल चौघरी	समाजसेवी	ग्राम पालडी तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य	जीग्राभ



17.	श्री लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री श्योनारायण चौधरी	समाजसेवी	ग्राम पन्द्रहेडा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक	सदस्य	अंशाही को ब
18.	श्री मुकेश जाट पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाट	समाजसेवी	ग्राम मोजा उर्फ हनीफपुरा पोस्ट पराना तह. जिला टॉक	सदस्य	Honry
19.	श्री चरण सिंह जाट पुत्र श्री जगदीश जाट	समाजसेवी	ग्राम देवली तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य	-ROPIE
20.	श्री परसराम चौघरी पुत्र श्री शंकर लाल जाट	समाजसेवी	ग्राम रिंडलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक	सदस्य	THE PORT
21.	श्री सत्यनारायण चौघरी पुत्र श्री रामनिवास	समाजसेवी	गोल चबूतरा ग्राम सरोली जिला टोंक	सदस्य	ेराट21-1 K1210 उत्तर
22.	श्री रत्तिराम जाट पत्र श्री	समाजसेवी	जैन मोहल्ला तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य	रतिराम

्रह्महाक्षरक अभियोजक (नाम् व्यवसायाद्रक्ष पता) टॉक (राजः) (साक्षी) विशिष्ठ लोक अभियोजक प्रचारम लॉ **डरपाली** में वालको

(नाम / व्यवसाय / सूर्ण पता) सालक अधिकार अधिनियम 2005 टोक (राज

अध्यक्ष

*कामीऽ गीर* सचिव

कोषाध्यक्ष

(नोटेरी / 2 राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करावें।)



화.	नाम व पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
स ।.	श्री श्रीराम चौघरी पुत्र श्री रामदयाल चौघरी	समाजसेवी	तेजाजी का मोहल्ला ग्राम पलेई तहसील निवाई जिला टोंक	संरक्षक
2.	श्रीमति रमा चौधरी पत्नि श्री रामगोपाल जाट	एडवोकेट	कल्याण कुंज खोजा बावडी जयपुर रोड टॉक	अध्यक्ष
3.	श्री छीतर लाल जाट पुत्र श्री मुकना जाट	समाजसेवी	ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला टोंक	उपाध्यक्ष I
4.	श्री रामकरण जाट पुत्र श्री बजरंग लाल जाट	समाजसेवी	ग्राम खेडा तहसील पीपलू जिला टॉक	उपाध्यक्ष II
5.	श्री कजोड़मल जाट पुत्र श्री केदार लाल जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम रायरामपुरा जिला टोंक	सचिव
6.	श्री आशीष चौघरी पुत्र श्री प्रमूदयाल चौघरी	समाजसेवी	शास्त्री नगर तहसील जिला टोंक	उपसचिव ।
7.	श्री शिवजी लाल चौघरी पुत्र श्री हीरालाल चौघरी	समाजसेवी	69 गुर्जरों का मोहल्ला, सरोली जिला टोंक	उपसचिव I
8.	श्री योगेश छरंग पुत्र श्री शिवजीराम छरंग	समाजसेवी	डामर का ढिया सरोली जिला टोंक	कोषाध्यक्ष
9.	श्री किशन गोपाल जाट पुत्र श्री रामलाल जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम करीमपुर पोस्ट दाखिया जिला टोंक	सदस्य
10.	श्री नाथूलाल जाट पुत्र श्री जगदीश जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम अमिरपुरा खेर पोस्ट छान जिला टोंक	सदस्य
11.	श्री महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री बन्नालाल चौधरी	समाजसेवी	एन.एच. 12 जाटों का मोहल्ला छान जिला टोंक राजस्थान	सदस्य
12.	श्री कुलदीप चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक	सदस्य
13.	श्री राजेन्द्र सिंह चौघरी पुत्र श्री नेहनू लाल जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम अलीमपुरा पोस्ट काशीपुरा तह. पीपलू जिला टोंक	सदस्य
14.	श्री लेखराज चौघरी पुत्र श्री रामलाल चौघरी	समाजसेवी	ग्राम देवली गांव तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य
15.	श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्र श्री जगदीश जाट	समाजसेवी	जाटों का मोहल्ला ग्राम अरनिया केदार पोस्ट सोनवा जिला टॉक	सदस्य
16.	श्री जीतराम जाट पुत्र श्री घांसीलाल चौघरी	समाजसेवी	ग्राम पालडी तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य
17.	श्री लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री श्योनारायण चौधरी	समाजसेवी	ग्राम पन्द्रहेडा तह. टोडारायसिंह जिला टोंक	सदस्य
18.	श्री मुकेश जाट पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाट	समाजसेवी	ग्राम मोजा उर्फ हनीफपुरा पोस्ट पराना तह. जिला टोंक	सदस्य
19.	श्री चरण सिंह जाट पुत्र श्री जगदीश जाट	समाजसेवी	ग्राम देवली तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य
20.	श्री परसराम चौधरी पुत्र श्री शंकर लाल जाट	समाजसेवी	ग्राम रिंडलिया रामपुरा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक	सदस्य
21.	श्री सत्यनारायण चौधरी पुत्र श्री रामनिवास	समाजसेवी	गोल चबूतरा ग्राम सरोली जिला टोंक	सदस्य
22.	0.0	समाजसेवी	जैन मोहल्ला तहसील एवं जिला टोंक	सदस्य



- \* भामाशाह +
- 1. श्री श्री १००८ बजरंगाचार्य जी महाराज जगतगुरु धन्ना भगत पीठ धुंआ कला टॉक
- 1,21,121 ₹ + (आशिवांद)
- 2. कन्हैया लाल जी (MLA साहब)

टोडा रायसिंह मालप्रा

551000/

3. G.L चौधरी s/o स्व. भवंर जी खोखर C/o NIRMAN GMT

जयपुर (कुहाड़ा)

2,36,000/

- 4. रामविलास जी चौधरी (पूर्व जिला प्रमुख) s/o मोती लाल जाट सिविल लाइंस टॉक
- 1,21,121 ₹
- 5. शिव जी सर सरोली (शिव शिक्षा समिति)
- 1,21,121 ₹
- 6. आशीष जी टोंक (आलोक शिक्षा समिति)
- 1,11,111 ₹
- 7. रमा जी एडवोकेट w/o स्व. राम गोपाल जी खोजा बावड़ी टोंक
- 1,01,001 ₹
- 8. गणेश जी रोज (प्रधान) S/o रामकिशन जी दुनी

(प्रधान पंचायत समिति देवली)

100111/

9. श्री राम जी (जिला परिषद सदस्य) s/o श्री राम दयाल जी पलई

1,00,000₹

- 1. गणेश जी धायल द्नी (51,000 ₹ राशि की ईंट )
- 2. शंकर जी पूनिया टोडा ( 51,000 ₹ की पुस्तकें )
- 3. शंकर जी टांडी s/o स्व. श्री हरदेव जी (टांडी परिवार) रिण्डल्या रामपुरा
- 51,000₹
- 4. शिवनंदन जी (सरपंच) s/o स्व. हीरालाल जी सांखना
- 51,000 ₹
- 5. रामजस जी ठेकेदार s/o रघुनाथ जी बालापुरा टॉक
- 51,000 ₹
- 6. डा. जसवंत जी चौधरी s/o जगदीश जी चौधरी कैप्टन कॉलोनी टॉक
- 51,000 ₹
- 7. हरलाल जी भुवाल (पूर्व सरपंच) s/o कल्याण जी संडीला
- 31,000₹
- 8. डा. सोभाग जी s/o लादू लाल जी / हरलाल जी बराना हिंगोनिया उनियारा
- 31,000₹
- 9. राम रख जी (सचिन जी) s/o घासी लाल जी भरनी
- 31,000₹

10. लक्ष्मण जी चौधरी s/o भूरा जी चौधरी गाता टोंक 31,000₹

- 1. स्रेश जी मास्टर बिबोला
- 21,000₹
- 2. योगेश जी छरंग सरोली
- 21,000₹
- 3. चंद्रवीर जी चौधरी बालागढ
- 21,000₹
- 4. कमलेश जी केरियां RP
- 21000₹
- 5. Dr. स्रजीत सिंह गांगवाल s/o सीताराम जी गांगवाल विबोलाव
- 21000₹
- 6. हन्मान जी (जेईएन विद्युत विभाग)कैलाशपुरी नानेर
- 21000₹
- 7. रामप्रसाद जी चोपड़ा लक्ष्मीप्रा बरवास
- 21,000₹
- 8. सत्यनारायण जी कुड़ी अरणियां मॉल
- 21,000₹
- 9. कैलाश जी s/o भंवर जी इचोलिया कैलाश पूरी नानेर
- 21,000₹
- 10. सांवर मल चोपड़ा RP s/o रतन लाल चोपड़ा पालड़ी
- 21,000₹
- 11. रतन जी (ओम जी JEN) s/o किशन लाल जी छान खेडा
- 21,000₹
- 12. कृष्ण जी वकील (KK) S/O जगदीश जी खेलनियां टोंक
- 21,000₹
- 13. प्रहलाद जी चौधरी s/o सूवा लाल जी मोठ्या झिलाय निवाई
- 21 000₹
- 14. जयलाल जी सरुडीया s/o स्व गोवर्धन जी रूस्तमगंज टोंक
- 21,000₹
- 15. महावीर जी तोगडा वकील s/o सुखदेव जी माधोगंज टोंक
- 21 000/
- 16. EMS INFRACON (मलिक जी)UP वाले टोंक
- 21,000₹
- 17. रामवीर जी s/o रामगोपाल बाज्या s/o जगराम जी बाज्या, विकास विहार टॉक
- 21.000₹
- 18. हंसराज जी रोलानियां s/o प्रहलाद जी जाट सौहेला टॉक
- 21,000₹
- 19. उमेद सीइस कॉपॅरिशन सोनवा टॉक
- 21,000₹

- 20. सत्यनारायण जी चौधरी s/o रामनिवास जी जांगू सरोली
- 21,0003
- 21. हेमराज जी चौधरी अध्यापक s/o कल्याण जी चौधरी कुंडेर टॉक
- 21,000₹
- 22. प्रहलाद जी चौधरी RP s/o कानाराम जी चौधरी शिव कॉलोनी टोंक
- 21.000₹
- 23. रितराम जी तोगडा s/o भोमा राम जी जेल रोड टॉक माधोगंज वाले महराजा सूरज मल छात्रावास
- 24. कुंभाराम चौधरी S/oरामलाल चौधरी भाणोली तहसील दुनी
- 21000
- 25. नंदलाल जी/ हेमराज जीS/o रामचंद्र जी आकोडिया वाले दुनी
- 21000
- 26. चौथमल जी गढ़वाल S/oबजरंग जी गढ़वाल गणेती वाले आदर्श नगर टॉक

21121

27. ओमप्रकाश जी रोज S/o रामलाल जी रोज

दुनी (PTI)

21000/

28. मदनलाल जी S/oरामिकशन जी कासनिया

करीमप्रा टोंक (घाड थाना)

21000

29. राजेश्वर जी चौधरी s/o स्व. रामेश्वर जी

कुशाल पूरा देवली

21000/

30. शिवनारायण जी गोलाडा s/o भेरू लाल जी आदर्श नगर टॉक

21000/

1. जीतराम जी जाट पालड़ी

11000/

- 2. भरत जी चौधरी माधोगंज RP
- 11000/
- 3. रामसिंह जी कलानाडा RP
- 11000/
- 4. मुकेश जी कमांडो छान खेड़ा
- 11000/
- 5. लक्ष्मण जी पंद्रहेड़ा (लक्की)
- 110000₹
- अंवर जी मुकरानिया (विनोद जी) कैलाशपुरी नानेर
- 11000₹

- 7. प्रहलाद जी चोपड़ा (सिद्धार्थ जी मास्टर) वजीरपुरा 11000₹
- 8. सुरेश जी गोरा चंदलाई (नीत् फुट वियर)
- 11000₹
- 9. राजेंद्र जी चोपड़ा वजीरपुरा (युवा बुक डिपो)रोहित
- 11000₹
- 10. गोगाराम जी गांगवाल मांदोलाई
- 11000
- 11 .राजेंद्र जी R P हनोतिया
- 11,000₹
- 12. शिवराज जी गढवाल RAC गनेती
- 11000/
- 13. मुकेश जी बराला RP s/o शंकर शंकर जी बराला RP दूनी
- 11000/
- 14. जयिकशन छरंग s/o स्व. गोपाल जी छरंग(चौधरी ट्रेडर्स) सरोली
- 11000/
- 15. सांवर मल जी गाणोली( तुडी व्यापारी)
- 11000/
- 16. ज्ञान सिंह जी गडवाल नूरपुरा खेड़ा (दिल्ल...